न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 98/2023/2021 GCMS 2023/219

प्रार्थी

1. कमलेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति खटीक आयु 45 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति मेघवाल आयु 43 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)
2. तहसीलदार कुचामनसिटी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिय 1956

उपस्थित :– श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक 21-06-2023

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 से 3 के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 494 रकबा 1.59 हैक्टर अवस्थित है, इसके अलावा इस खाते में अन्य खसरा 2544/493 भी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध संक्रियाओं से पूर्व इस वर्तमान खसरा संख्या 494 के गत खसरा संख्या 194 मि. अभिलिखित थे।

भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 का रकबा 1.59 हैक्टर मिसल बन्दोबस्त में तो पूर्ववत खातेदारी में तो दर्ज कर दिया गया परन्तु नक्शें में रेखांकन त्रुटिपूर्ण करते हुये प्रार्थी की खातेदारी भूमि को खसरा नम्बर 459 व 460 में सम्मिलित कर दिया गया जो कि वन विभाग अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज है। जबकि अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा अभिलेख अनुसार सीमांकन पश्चात अपनी भूमि में काबिज है। सीमांकन पश्चात ही चार दीवारी कायम किया जाना बखूबी साबित है। उक्त त्रुटिपूर्ण सुधार हेतु नजरी नक्शा निम्नवत मार्क *A B C D* अलग स्याही से दर्शित है। नजरी नक्शे में दर्शित मार्क *A B C D* भाग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा शुदा भूमि है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 का कोई स्वामित्व नही है, मात्र भू–प्रबन्ध [illegible] स्पष्ट दृष्टव्य है।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई [illegible] बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 के खाता संख्या 2/7 में एक नोट का अं[illegible] खसरा नम्बर 459 भी सम्मिलित है, इस खाते में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गै.मु.आबादी [illegible] रकबा 2.25 हैक्टर क[illegible] हुये गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:06:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पहाड़ दर्ज किया गया है, इससे भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि का रेखांकन त्रुटिपूर्ण किया गया है।

इस प्रार्थना–पत्र से मात्र रेखांकन की शुद्वि चाही जा रही है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 क रकबे में किसी प्रकार की वृद्विं नही हो रही है एवं अप्रार्थी संख्या 3 के रकबे में किसी प्रकार की कमी नही हो रही है। उक्त प्रकरण मात्र तरमीम शुद्वि का है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 वर्तमान में भौतिक रूप से अपने–अपने हिस्सो पर निर्विवाद रूप से पुख्ता काबिज है।

प्रार्थी की इस्तदुआ है कि प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 4 में दर्शित नजरी नक्शे अनुसार व मौके के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को संशोधन करने तथा इस अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्त करने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस सम्य्य रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार कुचामनसिटी ने इस प्रार्थना–पत्र के प्रत्युत्तर के साथ पटवारी हल्का कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है एवं समस्त अभिलेखीय स्थिति स्वीकार करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा नक्शे में चाही गई रेखांकन शुद्वि से वन विभाग की राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदारी में दर्ज भूमि प्रभावित नही हो रही है, वन विभाग द्वारा पूर्व में ही अपनी भूमि पर पुख्ता चार दीवारी बना रखी है।

अप्रार्थी संख्या 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के किसी भी कथन का विरोध नही करते हुये कथन किया है कि वन विभाग की मौके पर चार दीवारी बनी हुई है एवं माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई पश्चात निर्णय पारित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी की ओर से वर्तमान भू–प्रबन्ध व गत भू–प्रबन्ध नक्शा किश्तवार एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई, मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 187 मि. के वर्तमान खसरा नम्बर 494 बने है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में है। गत व वर्तमान नक्शे के मिलान से दोनो नक्शो की आकृति में भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित हो रही है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रत्युत्तर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल गत व वर्तमान नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का कुचामनसिटी एवं प्रार्थना–पत्र के कथन बहस वकील प्रार्थी के आद्योपान्त अध्ययन एवं मनन पश्चात विधिक एवं अभिलेखीय स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है कि –

(क)– अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा इस संशोधन हेतु किसी प्रकार का विरोध नही किया गया है ।

(ख)– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल व गत व वर्तमान नक्शा किश्तवार की आकृति में भिन्नता है।

(ग)– इस शुद्वि से प्रार्थना–पत्र के किसी भी पक्ष के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों में किसी प्रकार की कमी या वृद्वि नही हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:06:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(घ)– यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रामिति (फिल्ड बुक) का संधारण एवं धारा 136 में गलतियों का शुद्विकरण के प्रावधान है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 सपठित नियम 369 लैण्ड रेकार्ड रूल्स के अनुसार उपखण्ड अधिकारी को (जिसे भू–अभिलेख अधिकारी के अधिकार प्राप्त है) तदनुसार धारा 131 व 136 के अन्तर्गत संशोधन किया जा सकता है।

उक्त अभिलेखीय एवं विधिक स्थिति के विवेचन पश्चात प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन न्यायोचित है।

आदेश

अतः आदेश है कि अप्रार्थी संख्या 2 (तहसीलदार कुचामनसिटी) राजस्व नक्शें में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार संशोधन कर तरमीम करें। मौका रिपोर्ट की प्रति आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनॉक 21.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:06:37 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें, (8)

श्रीमान तहसीलदार महोदय
कुचामन सिटी, नागौर।

विषय :- माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो. के प्रकरण सं. 78/2023 में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग :- एफ/क्रमांक/रीडर/2023/180 दिनांक 08.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय में आप द्वारा चाही गई राजस्व रिकार्ड एवं मौका अनुसार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

राजस्व ग्राम कस्बा कुचामन सिटी में चालू राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 494 रकबा 1.5900 है. किस्म बारानी 2 कमलेश पुत्र देवीलाल हि. 1/2 जाति खटीक सा. देह व शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल हि. 1/2 जाति अग्रवाल सा. देह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

उक्त ख.नं. 494 के उत्तरी सीमा पर ख.नं. 459 रकबा 6.8300 है. किस्म गै. मु. पहाड़ एवं ख.नं. 460 रकबा 9.9700 है. गै. मु. पहाड़ है. जो राजस्व रिकार्ड अनुसार वन विभाग सा. कुचामन के नाम दर्ज है। मौके पर ख.नं. 494 के उत्तरी तरफ स्थित वन विभाग के नाम दर्ज ख.नं. 459 व 460 को वन विभाग द्वारा पक्की चारदीवार का निर्माण कर अपना कब्जा सुरक्षित कर रखा है। मौके अनुसार नजरी नक्शा निम्नवत है :-

स्थानाभाव के कारण नजरी नक्शा अगले पृष्ठ पर अंकित है,

रीडर
09.6.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:06:37 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार

[signature]
09.06.2023
पटवारी कु. सिटी

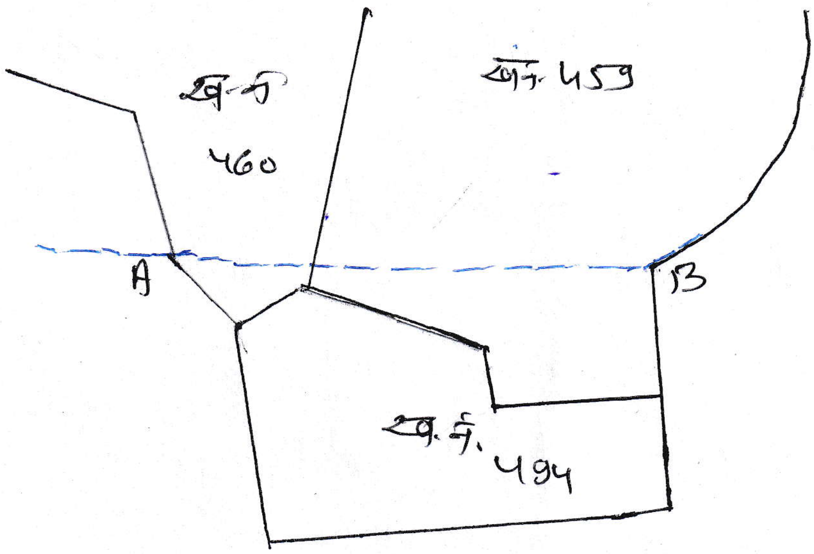

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वन विभाग के नाम दर्ज ख.नं. 459, 460 के दक्षिण में खातेदारी कृषि ख.नं. 494 है। वन विभाग एवं खातेदारी कृषि भूमि के बीच में बिन्दु नं. A से B तक (नजरी नक्शा में दर्शित) वन विभाग द्वारा पक्की तीन से चार फीट ऊंचाई तक चार दीवारी का निर्माण कर ख.नं. 459, 460 को काफी पूर्व से ही अपना कब्जा किया हुआ है। अभिलेखीय स्थिति प्रार्थना पत्र के बिन्दुवार टिप्पणी संलग्न लेखों में प्रस्तुत है।

09.06.2023
पटवारी कु. सिटी

C.S.
09.6.23
तहसीलदार
तहसील -कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:06:37 IST
Reason: SelfAttested